हुक्म तारीख	हुक्म का कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	हुक्म तामील नम्बर व तारीख
09.09.2019	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में प्रा.पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी के अर्न्तगत इस न्यायालय के आदेश दिनांक 01.06.2015 राजस्व कैम्प चाणौद लोक अदालत में पारित एक तरफा आदेश को पुनर्विलोकन करने हेतु प्रस्तुत किया है एवं उक्त प्रा.पत्र के संलग्न हस्ब धारा 5 मर्यादा अधिनियम 1963 मय शपथ पत्र के प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण के उक्त प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थीगण न तो उपस्थित हुए न उक्त प्रा.पत्र का जबाव पेश कर कोई विरोध जाहिर किया। हमने प्रार्थीगण के अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी। पत्रावली एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। राज्य सरकार द्वारा राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार में राज्य सरकार द्वारा जारी पुस्तिका में प्रश्न सं. 20 के उत्तर में यह स्पष्ट किया गया है कि केवल लोक अदालत आयोजित करने पर बिना राजीनामा के प्रकरणों का निस्तारण नहीं किया जा सकता। यदि लोक अदालत के साथ कैम्प कोर्ट का भी आयोजन किया गया है तो ऐसी स्थिति में पीठासीन अधिकारी गुणावगुण के आधार पर उभय पक्षकारों को सुनकर मुकदमें का निर्णय कर सकता है। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि आदेश दिनांक 01.06.2015 पारित करने से पूर्व प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण को सुनवाई के नोटिस जारी नहीं किये गये थे। पूर्व में पत्रावली में 15.05.2015 तारीख पेशी मुकर्रर थी, उसके बाद बिना सूचना दिनांक राजस्व कैम्प चाणौद में दिनांक 01.06.2015 को पत्रावली रखी गई। दिनांक 01.06.2015 को प्रार्थीगण की अनुपस्थिति में माननीय न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत कैम्प चाणौद में उक्त प्रकरण का निर्णय कर दिया गया एवं माननीय न्यायालय द्वारा एक पक्षीय डिक्री प्रार्थीगण के विरूद्ध जारी कर दी गई। प्रार्थीगण के वकील की बहस एवं पत्रावली पर पारित आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन के पश्चात हम इस नतीजे पर पहुंचे है कि आदेश दिनांक 01.06.2015 बिना विधिक सुनवाई के पक्षकारों की अनुपस्थिति में राजस्व कैम्प में पारित निर्णय में विधि की उचित प्रकिया को नहीं अपनाया गया एवं प्रार्थीगण ने प्रा. पत्र प्रस्तुत करने की देरी का सम्मन करने हेतु जो प्रा.पत्र पेश किया है उसके बताये गये आधार सही होने से स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी एक पक्षीय डिक्री को अपास्त किये जाने का स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिनांक 01.06.2015 को अपास्त कर पत्रावली को रेस्टोर कर पुनः दर्ज रजिस्टर कर अग्रिम कार्यवाही करने का आदेश दिया जाता है। निर्णय आज दिनांक 09.09.2019 को सरेइजलास सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर	

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली

Scanned by CamScanner